

Introduction and Passing of the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 2024-2025

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2024-25.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 39, माननीय वित्त मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2024-25, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____ -

-

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर- 40, माननीय वित्त मंत्री जी ।

19.15 hrs